**न्यायालय : सिविल न्यायाधीश, गोगुन्दा, जिला–उदयपुर (राज0)**

**पीठासीन अधिकारी :– श्री सरफराज नवाज, आर0जे0एस0**

**मूल दीवानी प्रकरण संख्या :– 01/2019**

**CIS No. 02/2019**

नरेन्द्र सिंह पुत्र खुम सिंह, जाति कूपावत, आयु 25 वर्ष
निवासी सोलंकियों का गुडा, पोस्ट आतरी, बारा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला–राजसमंद

**––––––वादी**

**–:: बनाम ::–**

हिम्मत लाल पुत्र अम्बालाल नागदा, जाति नागदा
निवासी झीराई, पोस्ट जोलावास, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर

**––––––प्रतिवादी**

**–:: वाद अंतर्गत आदेश 37 नियम 2 दी.प्र.सं. वास्ते वसूली रूपये ::–**

**उपस्थित :–**

01– विद्वान् अधिवक्ता श्री बी.एल. तेली, अधिवक्ता, वास्ते वादी।

02– प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही है।

**–: निर्णय :–**

**दिनांकः 15.02.2020**

**1.** प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी ने प्रतिवादी के विरूद्ध एक वाद अंतर्गत आदेश 37 नियम 2 दी.प्र.सं. का दिनांक 20.12.2018 को इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि प्रतिवादी एवं वादी दोनों सूरत गुजरात में एक ही मार्केट में नौकरी करते थे, जहां से प्रतिवादी एवं वादी दोनों के मध्य परिचय हो गया, उसी का लाभ उठाते हुए प्रतिवादी ने वादी को जायज जरूरत में रूपयों की आवश्यकता होना बता कर नब्बे हजार रूपये उधार प्राप्त किये। प्रतिवादी ने वादी से उधार ली गयी राशि की पुनः अदायगी के लिये एक

चैक सिंडिकेट बैंक लिमिटेड शाखा गोगुन्दा, जिला–उदयपुर का अपने हस्ताक्षरों से जारी कर सुपुर्द किया जिसका चैक नंबर 135162 दिनांकित 12.02.2018 तादादी 90,000/– रूपये का था। उक्कत चैक वादी को सुपुर्द कर प्रतिवादी ने विश्वास दिलाया कि चैक को नियत दिनांक अथवा अंदर मयाद अवधि में बैंक में पेश करने पर चैक की राशि का भुगतान आवश्यक रूप से वादी को हो जायेगा। वादी ने उक्त चैक को अपने बैंक एसबीआई बैंक शाखा कुम्भलगढ़, जिला–राजसमंद में पेश किया जहां से उक्त चैक समाशोधन हेतु प्रतिवादी के खाते में भेजा गया, परंतु प्रतिवादी के बैंक खाते से उक्त चैक का अनादरण कर दिया गया जिसमें अनादरण होने का कारण ''फण्ड्स इनसफिसियेंट'' होना अंकित था। उक्त चैक अनादरण की जानकारी वादी को जरिये चैक रिटर्न मीमो दिनांक 01.03.2018 के माध्यम से प्राप्त हुई। उक्त चैक अनादरण की जानकारी प्रतिवादी को जरिये बैंक एसएमएस हो गयी एवं वादी ने प्रतिवादी को विधिक नोटिस भी जरिये अधिवक्ता दिनांक 08.05.2018 को प्रेषित करवाया जिस पर प्रतिवादी ने वादी से संपर्क किया तथा बताया कि प्रतिवादी शीघ्र ही चैक की राशि का भुगतान वादी को कर देगा। वादी प्रतिवादी के विरूद्ध विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं करें। वादी ने प्रतिवादी की बातों पर विश्वास किया और प्रतिवादी ने वादी को झूठा दिलासा देकर प्रतिवादी के विरूद्ध की जाने वाली धारा 138 एन.आई. एक्ट की आवश्यक मयाद अवधि को भी निकाल दिया।

प्रतिवादी द्वारा जारी किये गये चैक नंबर 135162 दिनांक 12.02.2018 से वादी को नियत दिनांक पर चैक राशि 90,000/– रूपये का भुगतान प्राप्त नहीं हुआ जिस पर वादी, प्रतिवादी से चैक दिनांक 12.02.2018 से चैक राशि 90,000 रूपये पर बाजार प्रचलन अनुसार ब्याज भी प्राप्त करने एवं वसूल करने का अधिकारी है। वादी ने प्रतिवादी को उपर्युक्त तथ्यों सहित एक विधिक सूचना पत्र जरिये अधिवक्ता दिनांक 06.07.2018 को प्रतिवादी के वाद में अंकित उपरोक्त वर्णित ज्ञात एवं वास्तविक पते पर प्रेषित किया जो नोटिस प्रतिवादी को प्राप्त हो गया, लेकिन प्रतिवादी को नोटिस प्राप्त होने के बाद भी प्रतिवादी द्वारा नोटिस की पालना नहीं की गयी जिससे अब प्रतिवादी के विरूद्ध यह वाद वसूली रूपया पेश किया जाना आवश्यक हुआ है। वादी को चैक के माध्यम से भुगतान प्राप्त नहीं होने के कारण वादी, प्रतिवादी द्वारा जारी किये गये चैक दिनांक 12.12.2018 से दिनांक 12.08.2018 तक कुल 10 माह का ब्याज नौ हजार रूपये एवं चैक राशि नब्बे हजार रूपये सहित कुल निन्यानवे हजार रूपये प्राप्त करने एवं वसूल करने का अधिकारी है।

वाद कारण सर्व प्रथम तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी ने वादी को जारी किये गये चैक दिनांकित 12.02.2018 के दिनांक 01.03.2018 को अनादरित करवा दिये जाने, चैक अनादरित होने पर विधिक नोटिस दिनांक 08.05.2018 को प्रतिवादी को दिलवाये जाने एवं उक्त नोटिस अनुसार प्रतिवादी द्वारा धारा 138 एन.आई. एक्ट की मयाद अवधि धोखाधड़ीपूर्वक निकाल दिये जाने एवं तत्पश्चात् एक विधिक नोटिस प्रतिवादी को दिनांक 06.07.2018 को प्रेषित करवाये जाने एवं नोटिस प्राप्त होने के बाद भी प्रतिवादी द्वारा नोटिस की पालना नहीं किये जाने एवं चैक की राशि का भुगतान नहीं किये जाने के कारण वाद कारण उत्पन्न हुआ जो आज भी निरंतर रूप से जारी है। प्रतिवादी का निवास स्थान एवं वादी के वाद की मालियत के हिसाब से उक्त वसूली के वाद की सुनवाई का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त होने से उक्त वाद इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। वादी के वाद का मूल्यांकन निन्यानवे हजार रूपये कायम किया जाकर दावा हाजा उचित न्याय शुल्क पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। अतः वादी का वाद प्रतिवादी के विरूद्ध स्वीकार फरमाया जाकर वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री फरमायी जावे कि वादी को प्रतिवादी से निन्यानवे हजार रूपये एवं तावसूली तक दावाकृत राशि निन्यानवे हजार रूपये पर बारह प्रतिशत सालाना की दर से ब्याज तथा वाद खर्च, अधिवक्ता फीस दिलायी जावे।

**2.** वाद पत्र के संबंध में प्रतिवादी को जारी किया गया समन बाद तामील पेश हुआ, किंतु पत्रावली में नियत दिनांक 07.03.2019 को प्रतिवादी एवं उसकी और से कोई उपस्थित नहीं हुआ, जिस पर न्यायालय द्वारा प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी।

**3.** दौराने विचारण वादी ने मौखिक साक्ष्य में स्वयं को पी डब्ल्यु–1 के रूप में परीक्षित करवाया गया। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श–1 साक्ष्य का शपथ पत्र, प्रदर्श पी–2 प्रतिवादी द्वारा वादी को दिया गया असल चैक, प्रदर्श–3 रिटर्न मीमो, प्रदर्श पी–4 प्रतिवादी को दिये गये नोटिस की प्रति, प्रदर्श–5 पोस्टल रसीद तथा प्रदर्श–6 प्राप्ति रसीद को प्रदर्शित करवाया गया।

**4.** प्रकरण में न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है कि :–

1. '' आया प्रतिवादी ने वादी से 90,000/– रूपये नकद उधार प्राप्त किये एवं उक्त राशि की अदायगी के पेटे अपने खाते का चैक संख्या 135162 दिनांकित 12.02.2018 तादादी 90,000/– रूपये का दिया जो वादी द्वारा भुगतान हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत करने पर फण्ड्स इनसफिसियेंट के रिमार्क के साथ

अनादरित हो गया जिस पर वादी प्रतिवादी से 90,000/– रूपये एवं उस पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है?''

2. '' अनुतोष ?

**5.** उपर्युक्त बिन्दु संख्या एक के संबंध में न्यायालय का निष्कर्ष निम्नानुसार है :–

वादी ने अपने वाद पत्र में अभिवचन किया है कि उसके एवं प्रतिवादी के मध्य अच्छा व्यवहार होने से प्रतिवादी को रूपयों की जरूरत होने पर प्रतिवादी ने उससे 90,000/– रूपये उधार प्राप्त किये एवं उक्त राशि के भुगतान पेटे प्रतिवादी ने वादी को अपने खाते का चैक संख्या 135162 दिनांकित 12.02. 2018, रूपये 90,000/– का दिया जो वादी द्वारा अपने बैंक में समाशोधन हेतु पेश करने पर ''अपर्याप्त राशि'' के रिमार्क के साथ अनादरित कर दिया गया। चैक अनादरण की सूचना वादी को प्राप्त होने पर वादी ने जरिये अधिवक्ता दिनांक 08.05.2018 को प्रतिवादी को विधिक नोटिस प्रेषित किया जिस पर प्रतिवादी ने वादी से संपर्क किया एवं वादी को चैक राशि का शीघ्र भुगतान करने का आश्वासन दिया व विधिक कार्यवाही नहीं करने का निवेदन किया। वादी चैक में वर्णित राशि 90,000 रूपये एवं उस पर चैक जारी करने की दिनांक 12.02.2018 से बाजार प्रचलन अनुसार ब्याज प्राप्त करने का अधिकारी है। वादी की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत शपथ पत्र में वादी ने अपने वाद पत्र के अभिवचनों की पुनरावर्ती की है। वादी के अभिवचनों का कोई जवाब प्रतिवादी की ओर से पेश नहीं किया गया है, इसलिए वादी के अभिवचन अखण्डित रहे हैं। प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही होने से उसकी ओर से जिरह भी नहीं की गयी है, इसलिए वादी की परीक्षा भी अखण्डित रही है।

वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–2 असल चैक एवं प्रदर्श–3 रिटर्न मीमो से यह बात प्रमाणित होती है कि प्रतिवादी ने दिनांक 12.02.2018 को वादी के पक्ष में एक चैक संख्या 135162, कुलिया राशि 90,000/– रूपये भर कर निष्पादित किया तथा वादी ने उक्त चैक स्वयं द्वारा प्रतिवादी को उधार दी गयी राशि 90,000/– रूपये के पेटे देना बताया है जिसका प्रतिवादी की ओर से कोई खण्डन्न नहीं होने से यह तथ्य भी प्रमाणित है कि चैक प्रदर्श–2 प्रतिवादी द्वारा वादी को वादी से उधार ली गयी राशि के पेटे दिया गया। रिटर्न मीमो प्रदर्श–3 के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित होता है कि चैक प्रदर्श–2 वादी द्वारा समाशोधन हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत करने पर बैंक द्वारा उक्त चैक अपर्याप्त राशि के रिमार्क के

साथ लौटा दिया गया। वादी की ओर से प्रतिवादी को जरिये अधिवक्ता एक विधिक नोटिस प्रदर्श–4 भी प्रेषित किया गया, जिसकी पुष्टि नोटिस भेजने की डाक रसीद प्रदर्श–5 एवं पावती रसीद प्रदर्श–6 से भी होती है तथा न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है जिससे यह प्रकट हो कि प्रतिवादी ने वादी द्वारा उसे प्रेषित नोटिस का जवाब वादी को दिया हो या चैक में वर्णित राशि का भुगतान वादी को किया हो। इसलिए वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य तो प्रमाणित है कि प्रतिवादी ने वादी से 90,000/– रूपये नकद उधार प्राप्त किये एवं उक्त राशि की अदायगी के पेटे अपने खाते का चैक संख्या 135162 (प्रदर्श–2) दिनांकित 12.02.2018 तादादी 90,000/– रूपये का दिया जो वादी द्वारा भुगतान हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत करने पर फण्ड्स इनसफिसियेंट के रिमार्क के साथ अनादरित हो गया जिस पर वादी प्रतिवादी से 90,000/– रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है।

यद्यपि वादी ने उसके वाद पत्र एवं साक्ष्य शपथ पत्र में प्रतिवादी को उधार दी गयी राशि के पेटे दिये गये चैक प्रदर्श–2 में वर्णित मूल राशि 90,000/– रूपये पर चैक जारी करने की दिनांक 12.02.2018 से 12.12.2018 तक दस माह का ब्याज नौ हजार रूपये एवं चैक वर्णित राशि नब्बे हजार रूपये व दस माह का ब्याज नौ हजार रूपये, कुलिया राशि 99,000/– रूपये पर दावा दायरी की दिनांक से तावसूली तक बारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज एवं वाद व्यय मय वकील शुल्क की राशि प्रतिवादी से दिलाये जाने का निवेदन किया है। किंतु न्यायालय के मत में वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया है जिससे यह प्रकट हो कि उसके एवं प्रतिवादी के मध्य हुए लेनदेन के समय प्रतिवादी द्वारा राशि की अदायगी करने में किसी प्रकार का विलम्ब कारित करने की अवस्था में किसी प्रकार के ब्याज की दर तय हुई हो। ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के मध्य ब्याज की कोई दर तय नहीं हुई है, इसलिए ब्याज की दर वादी के कथनानुसार तय नहीं की जाकर न्यायालय द्वारा तय किया जाना उचित प्रतीत होता है। तद्नुसार बिन्दु संख्या एक वादी के पक्ष में तय किया जाता है।

**06. अनुतोष :** उपर्युक्त विवेचन से यह तथ्य प्रमाणित है कि प्रतिवादी ने वादी से 90,000/– रूपये नकद उधार प्राप्त किये एवं उक्त राशि की अदायगी के पेटे अपने खाते का चैक संख्या 135162 (प्रदर्श–2) दिनांकित 12.02.2018 तादादी 90,000/– रूपये का दिया जो वादी द्वारा भुगतान हेतु अपने बैंक में प्रस्तुत करने पर फण्ड्स इनसफिसियेंट के रिमार्क के साथ अनादरित हो गया जिस पर वादी, प्रतिवादी से 90,000/– रूपये प्राप्त करने का अधिकारी है। चैक अनादरण

के संबंध में वादी द्वारा प्रतिवादी को नोटिस प्रेषित करने के बावजूद प्रतिवादी द्वारा चैक में वर्णित राशि का भुगतान वादी को नहीं किया। इसलिए वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी को प्रतिवादी से मूल राशि 90,000/– रूपये दिलाया जाना न्यायोचित प्रकट होता है। चूंकि दोनों पक्षों के मध्य ब्याज की कोई दर तय नहीं हुई है और न ही ब्याज देने की कोई तिथि तय हुई थी। इसलिए वादी को मूल राशि 90,000/– रूपये पर दावा दायरी की दिनांक 10.01.2019 से तावसूली नौ प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित प्रकट होता है। अतः वाद वादी, विरूद्ध प्रतिवादी निम्नानुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रकट होता है।

**–::आदेश::–**

**07.** अतः वादी नरेन्द्र सिंह पुत्र खुम सिंह, जाति कूपावत, आयु 25 वर्ष, निवासी सोलंकियों का गुडा, पोस्ट आतरी, बारा, तहसील कुम्भलगढ़, जिला–राजसमंद की ओर से प्रतिवादी हिम्मत लाल पुत्र अम्बालाल नागदा, जाति नागदा, निवासी झीराई, पोस्ट जोलावास, तहसील गोगुन्दा, जिला–उदयपुर के विरूद्ध प्रस्तुत वाद बाबत् वसूली रूपये डिक्री किया जाकर आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी, वादी को :–

1. वादी से उधार ली गयी चैक प्रदर्श–2 में वर्णित मूल राशि 90,000/–(अक्षरे नब्बे हजार) रूपये; एवं

2. मूल राशि 90,000/–(अक्षरे नब्बे हजार) रूपये पर दावा दायरी की दिनांक 10.01.2019 से तावसूली तक नौ प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अदा करेगा।

वाद का व्यय प्रतिवादी द्वारा वादी को देय होगा। तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब किया जावे।

(सरफराज नवाज)
सिविल न्यायाधीश
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर

**08** निर्णय आज दिनांक 15.02.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुनाया गया।

(सरफराज नवाज)
सिविल न्यायाधीश
गोगुन्दा, जिला–उदयपुर